30/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। तहत प्रा० पत्र u/s 212 RTA r.w. O. 39 R 1 & 2 CPC के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा-212 RTA r.w. O. 39 R 1 & 2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :-

(अ) प्रकरण प्रथम द्रष्टया :- आवे० प्रार्थी का ने कथन किया है कि ग्राम झीकड़ी पटवार हल्का कालीतलाई की वादग्रस्त आराजी वर्तमान खाता सं० 101 किता 13 रकबा 8.4605 hae एवं ग्राम आसोंड़िया हल्का बनोर की वर्तमान खाता सं० 57 किता 3 रकबा 2.3269 hae भूमि अप्रार्थी क्रम 1 वल्लभप्रसाद को अपने पिता रामनारायण से विरासत में प्राप्त हुई थी और प्रार्थी, अप्रार्थी का पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के लिए पैतृक आराजी है, जिसमें The Hindu Succession Act के अनुसार जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा वादग्रस्त पैतृक आराजी का विधि विरुद्ध रूप से अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पक्ष में बेचान कर दिया है जिसका नामा सं० 836 व 562 दर्ज हो चुके है। ये दोनों नामान्तरण प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य होने से खारिज योग्य है। अतः वादग्रस्त आराजी के पैतृक आराजी होने एवं The Hindu Succession Act के अनुसार प्रार्थी का हिस्सा 1/3 पर जन्म से ही हक व अधिकार निहित होने से प्रकरण प्रथम द्रष्टया (prima facie) प्रार्थी के पक्ष में है।

आवे० अप्रार्थीगण ने [illegible] का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया [illegible] यह आराजी पैतृक आराजी नहीं है। यह रामनारायण की स्वयं की सम्पत्ति थी जो उनके मरने के बाद विरासत में जरिये नामा० सं० 605 दिनांक 20/10/2017 से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए

मे अप्रार्थी क्रम 1, जगदीश (पुत्र), प्रभुलाल (पुत्र), रामचरण (पुत्र) व कलावतीबाई (पुत्री) के 1/5-1/5 हिस्से दर्ज रिकार्ड हुई थी। प्रार्थी ने पैतृक वारिसी होने के सम्बंध मे कोई भी साक्ष्य पेश नही किया है। प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 1 की प्रथम पत्नि भंवरीबाई का पुत्र है जबकि अप्रार्थी 2 द्वितीय पत्नि सीताबाई का पुत्र है। प्रार्थी अप्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी 1 ने सगे भाई प्रभुलाल पुत्र रामनारायण लाऔलाद है अत: इसने प्रार्थी को बचपन में ही समाज के लोगो के समक्ष हिन्दू रिती-रिवाज से गोद लिया और पुत्र की पालन पोषण कर शिक्षा, शादी आदि कार्य सम्पन्न किये है। प्रार्थी बचपन से आज दिनांक तक प्रभुलाल के घर रहता है और इसके हिस्से की properties का प्रबंधन करता है। प्रभुलाल ने दिनांक 28/10/2013 को 100/- रुपये के stamp paper पर प्रार्थी को पूर्व मे ही गोद लिये जाने का गोद इकरारनामा भी Notarized कराया था जिसमे कई गवाहो के भी हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत, कालीतलाई ने भी दिनांक 21/1/2025 को प्रार्थी के प्रभुलाल के गोद जाने का प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके अलावा, प्रार्थी ने अपनी बेटी सपना दांगी की शादी खेजड़पुर निवासी कमलेश पुत्र शिवनारायण दांगी से [illegible] थी जिसमे शादी की पत्रिका (निमंत्रण) [illegible] सपना का पिता [illegible] प्रभुलाल [illegible] है रूप मे अंकित किया [illegible] ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी 1 बल्लम प्रसाद पुत्र रामनारायण के परिवार की पहचान कार्ड अर्थात राशन कार्ड क्रमांक 00811-51632। ग्राम झीकड़ी ग्राम पंचायत कालीतलाई की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

में जारी हुए

उचित मूल्य की दुकान नं० 460 पर पंजीकृत है-मे परिवार के सदस्यों में कहीं भी प्रार्थी का नाम नहीं है जबकि प्रभुलाल पुत्र रामनारायण डांगी के राशन कार्ड (परिवार की पहचान), वोटर कार्ड एवं जनाधार/भामाशाह कार्ड में प्रभुलाल के पुत्र के रूप में प्रार्थी का नाम दर्ज है और इस तथ्य को छुपाने के लिए प्रार्थी ने इस प्रकरण में कोई भी पहचान पत्र पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थी के प्रभुलाल के गोद चले जाने एवं वादग्रस्त आराजी के बल्लभप्रसाद के लिए पैतृक आराजी नहीं होने से तथ्यात्मक राजि० विक्रय पत्र से अप्रार्थी 2 व 3 से सहखातेदार होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

अभि० प्रार्थी ने रिविजन में तर्क किया कि यदि प्रभुलाल ने प्रार्थी को गोद लिया है तो राजि० गोदनामा होना चाहिए। जो इकरारनामा अप्रार्थीगण ने पेश किया है, इस पर प्राकृतिक माता-पिता के हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह ना तो कोई गोदनामा है और ना ही रजिस्टर्ड है। अतः प्रार्थी को किसी ने भी गोद नहीं लिया है। प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 1 का ही पुत्र (वारिस) है।

उभय पक्षों के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पेश न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान मनन किया गया। यहाँ प्रार्थी० को यह साबित करना है कि प्रथम प्रथम दृष्टया (Prima facie case) उसके पक्ष में है। Cambridge Dictionary के अनुसार Prima facie का अर्थ है "at first sight, based on what seems to be the truth when first seen or heard". Investopedia के अनुसार - The Latin expression 'prima facie' means "at first sight", "at first view" or "based on first impression". In both civil and

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

criminal law, the term is used to denote that, upon initial examination, a legal claim has sufficient evidence to proceed to trial or judgement. इसी प्रकार merriam-webster के अनुसार "prima facie" का अर्थ है "at first view" or "on the first appearance".

प्रकरण में विश्लेषण से पहले प्रकरण प्रथम दृष्टया (अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 cpc) को समझने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Dalpat Kumar Vs. Prahlad singh 1992 AIR SCW 3128 में दिनांक 16/12/1991 को दिये गये निर्णय में आदेश 39 R1&2 cpc के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की प्रासंगिक पैरा का उद्धरण का अवलोकन आवश्यक है, जो इस प्रकार है :— "4. Order 39 Rule 1 (c) provides that temporary injuction may be granted where, in any suit, it is proved by the affidavit or otherwise, that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. the court may by order grant a temporary injuction to restrain such act or make such other order for the purpose of staying and preventing... or dis-possession of the plaintiff or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit as the court thinks fit until the disposal of the suit or until further orders. pursuant to the recommendation of the Law Commission clause (c) was brought on statute by section 86(i)(b) of the amending Act 104 of 1976 w.e.f. feb. 1, 1977. Earlier there was no express power except the inherent power under section 151 CPC to grant ad-interim injuction against dispossession. Rule 1 primarily concerns with preservation of the property

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

क्रम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए

in dispute till legal rights are adjudicated. Injuction is a judicial process by which a party is required to do or to refrain from doing any particular act. It is in the nature of preventive relief to a litigant to prevent future possible injury. In other words, the court in execise of the power of granting ad-interim injuction is to preserve the subject matter of the suit in the status-quo for the time being. It is settled law that the grant of injuction is a discretionary relief. The exercise thereof is subject to the court satisfying that (1) there is a serious disputed question to be tried in the suit and that an act, on the facts before the court, there is probality of his being entitled to the relief asked for by the plaintiff/defendant:, (2) The court's interference is necessary to protect the party from the species of injury. In other words, irreparable injury or damage would ensue before the legal right would be established at trial; and (3) that the comparative hardship or mischief or incovenience which is likely to occur from withholding the injuction will be greater than that would be likely to arise from granting it."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं० 7966-7967/2009 कशीनाथ Kashinath Sansthan & Anr. v/s Srimad Sudhindra thirtha Swamy 2009 में दिये गये निर्णय में O39 R1&2 CPC के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की है, जिसके संबंधित पैरा का उद्धरण इस प्रकार है :-

13. it is well settled that in order to obtain an order of injuction the party who seeks for grant of such injuction has to prove that he has made out a prima facie case to go for trial, the balance of convenience is also

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

in his favour and he will suffer irreparable loss and injury if injuction is not granted But it is equally well settled that when a party fails to prove prima facie case to go for trial, question of considering the balance of convenience or irreparable loss and injury to the party concerned would not be material at all, that is to say if that party fails to prove prima facie case to go for trial, it is not open to the court to grant injuction in his favour even if, he has made out a case of balance of convenience being in his favour and would suffer irreparable loss and injury if no injuction order is granted."

इसी प्रकार का मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1999 AIR SCW 3050 अन्तर्गत Colgate palmolive (india). Ltd v/s Hindustan Lever Ltd मामले में प्रतिपादित किया गया है। आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के प्रावधानों के अनुप्रयोग हेतु न्यायालय (court) के विवेक (discretion) के सम्बंध में माननीय supreme court द्वारा सिविल अपील सं० 9479/2005 अन्तर्गत Seema Arshad Zaheer & ors. v/s Municipal Corporation of Greater Mumbai 2005 मामले में प्रतिपादित किया गया है जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है :-

"31. when the lower court acts arbitrarily, capriciously or perversely in the exercise of its discretion, the appellate court will interfere. Exercise of discretion by granting a temporary injuction when there is "no material" or refusing to grant a temporary injuction by ignoring the relevant documents produced, are instances of such action which are termed as arbitrary, capricious or perverse. When we refer to acting on "no material" (similar "no evidence"), we refer not only to cases where

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

क्रम	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

there is no relevant ~~do~~ material or where the material, taken as a whole, is not reasonably capable of supporting the exercise of discretion in this case, there was "no material" to make out a prima facie case and therefore, the High court in its appellate jurisdiction, was justified in interfering in the matter and vacating the T.I. granted by the trial court".

पत्रावली पर सुरेशचन्द को प्रभुलाल द्वारा गोद लिये जाने का रजि० गोदनामा पेश नहीं है। ना ही ऐसा कोई दस्तावेज है जिसमे प्रार्थी को गोद लेने के सम्बंध मे biological parents and adoptive parents के हस्ताक्षर एवं सहमति (consent) हो। The Hindu Adoption and Maintanance Act 1956 के अनुसार गोदनामा (adoption deed) का पंजीयन होना अनिवार्य तो नहीं है लेकिन गोदनामा के पंजीयन (registration) से इसकी validity की पूर्वधारणा (presumption) प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही सिद्धांत माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने ~~Sau. chhaya v/s state of Maharastra~~ Karam singh v/s Jagsir Singh मामले मे तथा माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने Sau. chhaya v/s state of Maharastra मामले मे अभिनिर्धारित किया है।

इसी प्रकार Parampal singh through father v/s National insurance co. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "under sec. 17 of the Registration [illegible] 1908, adoption deeds are not listed among the documents that require compulsory registration. However,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

they can be registered voluntarily u/s 18(f) of the same Act."

अप्रार्थीगण द्वारा पेश इकरारनामा दिनांक 28/10/2019 में biological mother and adoptive mother की सहमति व हस्ताक्षर नहीं है। The Hindu Adoption and maintenance act की धारा 6-11 में दी गई legal requirements के fullfill होने का भी कोई उल्लेख नहीं है। गवाहो को भी कोर्ट मे पेश नहीं किया है।

अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कालीतलाई का प्रमाण पत्र दिनांक 21/01/2025 तो पेश किया है लेकिन सरपंच व अन्य गवाहो के शपथ-पत्र / बयान कोर्ट मे पेश नहीं किये है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश printed शादी के निमंत्रण कार्ड की Authenticity, beyond doubt नहीं है कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा निमंत्रण कार्ड print करा सकता है। इसे साक्ष्य के रूप मे ग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सुरेशचन्द की voter id, Aadhar card, PAN card etc भी पेश नहीं किये है जिनमे पिता का नाम अंकित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है।

(b) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण मे प्रार्थी को सहरवा प्रेमलाल द्वारा रामनारायण दांगी द्वारा गोद लेना prima facie साबित नहीं होने से प्रार्थी को biological father बल्लभप्रसाद दांगी का ही पुत्र माना जायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म की तालीम में जारी हुए

उभयपक्ष इस तथ्य से सहमत है कि वादग्रस्त आराजी रामनारायण पुत्र बालाराम डांगी से विरासत में इनके वारिसान बल्लभप्रसाद, प्रभुलाल आदि को प्राप्त (undivided) हुई थी। यह भी निर्विवादित है कि अप्रार्थी 1 बल्लभप्रसाद की दो पत्नियो से प्रार्थी सुरेशचन्द, अप्रार्थी 2 तुफानसिंह, व एक पुत्री कौशल्याबाई है। अप्रार्थी 1 ने स्वयं को पिता से विरासत में प्राप्त वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/5 का बेचान तीन-पुत्र-पुत्रियो में से केवल एक पुत्र अप्रार्थी 2 की पत्नि को कर दिया है जो prima facie, The Hindu Succession Act 1956 amendment Act 2005 के प्रावधानो के विरुद्ध है और दो अन्य वारिसान को इनके पैतृक हक व अधिकारो से वंचित करता है। अतः प्रार्थी के अधिकारो के संरक्षण हेतु वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/5 को खुर्द-बुर्द (alienated and damaged) होने से बचाने के लिए प्रार्थी के पक्ष में स्थगन देने पर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- prima facie पैतृक आराजी को अप्रार्थी 1 द्वारा एक ही पुत्र की पत्नि (अप्रार्थी 3) को बेचान करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपरोक्त विवेचन [illegible] पर प्रार्थी के प्रा० पत्र [illegible] O 39 R 1, 2 CPC को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता-फैसला मूल वाद इस आशय कि अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
	निर्बंधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी (ग्राम झिकड़ी तहसील रामपुर) की अप्रार्थी 1 बल्लभप्रसाद द्वारा अप्रार्थी 3 को किये गये बेचान शुदा भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य सहखातेदारों के हिस्से पर कोई स्थगन नहीं होगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मुलवाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

31/7/25
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner